[2024] 2 एस.सी.आर.. 91 : 2024 आईएनएससी 83

भारत संघ और अन्य

बनाम

एम/एस. बी.टी. पाटिल एण्ड संस बेलगाम (कंस्ट्रक्शन) प्राइवेट लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 7238 सन् 2009)

05 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूयान*]

विचारणीय मुद्दा

प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक की राशि का प्रतिपूर्ति तथा उसके विलंबित भुगतान पर ब्याज के हक का।

शीर्ष टिप्पणियां

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 – धारा 75A, 27A – केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 – विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 – विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 – सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर ड्रॉबैक नियम, 1995 – 1992-1997 का एक्सिम नीति – ड्यूटी छूट योजना – ड्यूटी ड्रॉबैक योजना – सिविल निर्माण कार्य में आपूर्तियाँ, एक्सिम नीति के तहत 'परकीय निर्यात' लाभ के लिए पात्रता – प्रतिवादी, सिविल अनुबंध कार्यों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला एक श्रेणी-I ठेकेदार, विशेष रूप से फनलिंग और जलविद्युत परियोजनाओं में, जिसने 1996 में महाराष्ट्र के कोयना जलविद्युत ऊर्जा परियोजना में उसे प्रदत्त कार्य पूरा किया था, जो विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित था – प्रतिवादी ने ड्यूटी ड्रॉबैक तथा उसके विलंबित प्रतिपूर्ति पर ब्याज का दावा किया – हक का प्रश्न:

निर्णय: एक्सिम नीति, 1992-1997 के प्रासंगिक प्रावधानों को केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा

विवादित परियोजना में वस्तुओं की आपूर्ति 'परकीय निर्यात' का मामला थी तथा इस प्रकार ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के तहत लाभ का हकदार थी – नीति में प्रयुक्त भाषा ने इसे अत्यंत स्पष्ट बना दिया था तथा इस प्रकार के हक के

*लेखक

संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं थी – भले ही कोई संदेह हो तो भी 1995 के नियमों द्वारा इसे पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था – वादी पक्ष का यह कहना कि ड्यूटी ड्रॉबैक की विलंबित प्रतिपूर्ति पर ब्याज भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था, सही नहीं है – वादी पक्ष का यह तर्क भी अस्वीकार्य है कि प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रतिपूर्ति रियायत के रूप में प्रदान की गई थी, जिसे नजीर के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए- प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के तहत 'परकीय निर्यात' के रूप में ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रतिपूर्ति का हक।

प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन 1996 में प्रस्तुत किए गए थे – ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय 07.10.2002 को विलंबपूर्वक लिया गया जिसके पश्चात भुगतान 31.03.2003 और 20.05.2003 को चेक द्वारा किया गया – स्वीकारोक्तिपूर्ण रूप से ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रतिपूर्ति में पर्याप्त विलंब हुआ था – सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75ए (1) के तहत, जहाँ दावा प्रस्तुत करने की तिथि से तीन मास के भीतर ड्यूटी ड्रॉबैक का भुगतान नहीं किया जाता, दावेदार को ड्रॉबैक राशि के अतिरिक्त ब्याज का हक होता है – यह प्रावधान करता है कि ब्याज उक्त तीन मास की अवधि समाप्ति के पश्चात से ड्रॉबैक भुगतान की तिथि तक धारा 27ए के अंतर्गत निर्धारित दर से देय होगा – धारा 27ए के तहत प्रासंगिक समय पर निर्धारित ब्याज दर दस प्रतिशत से कम तथा तीस प्रतिशत से अधिक प्रति वर्ष नहीं थी – केंद्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचना संख्या 32/1995 (एनटी)-सीमा शुल्क दिनांक 26.5.1995 के माध्यम से धारा 27ए के उद्देश्य के लिए ब्याज दर पंद्रह प्रतिशत निर्धारित की थी – चूंकि प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रतिपूर्ति विलंब से प्रदान की गई थी, अतः उसे प्रासंगिक समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर अर्थात् पंद्रह प्रतिशत पर ब्याज का हक था – उच्च न्यायालय के खंडपीठ का आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं। [अनुच्छेद 33-39]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

एस. एस. ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य 3 एससीआर 593 : 1993 सप्लिमेंटल 3 एससीसी 234; राजगोपाल रेड्डी (मृतक) द्वारा लर्स. बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरन (मृतक) द्वारा लर्स. 1 एससीआर 715 : (1995) 2 एससीसी 630; जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य 5 सप्लिमेंटल एससीआर 272 : (2004) 8 एससीसी 1 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; वित्त अधिनियम, 1994; आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947; विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992; विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993; सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दायित्व और सेवा कर ड्राबैक नियम, 1995।

कीवर्ड्स की सूची

ड्राबैक; शुल्क ड्राबैक; शुल्क ड्राबैक योजना; 1992-1997 की एक्सिम नीति; शुल्क छूट योजना; मानी गई निर्यात; शुल्क ड्राबैक की विलंबित रिफंड; ब्याज; बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियाँ; पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक; विश्व बैंक; केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड; शुल्क मुक्त सामग्री के आयात; घोषणात्मक/ स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना; पूर्वव्यापी प्रभाव।

केस का उद्भव

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 7238 सन् 2009

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 22.08.2008 के निर्णय एवं आदेश से डब्ल्यूए संख्या 356 सन् 2006 में।

अधिवक्तागण

अपीलीय पक्ष के लिए: वी. सी. भारती, राज बहादुर यादव, शशांक बाजपेयी, सुश्री स्वेता सिंह वर्मा, ए. के. कौल, प्रणीत प्रणब, अधिवक्ता।

प्रतिवादी पक्ष के लिए: बसुवा प्रभु पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपर्णा सिंह, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति उज्जल भूयान

अपीलकर्ता अर्थात् भारत संघ, विदेश व्यापार महानिदेशक तथा विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक ने इस दीवानी अपील के माध्यम से कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ सर्किट पीठ द्वारा रिट अपील संख्या 356/2006 में दिनांक 22.08.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा दिनांक 22.09.2005 को पारित एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 45525/2004 को स्वीकार किया गया था।

2. तथ्य संक्षेप में हैं। तथापि, विवाद के निपटारे के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित रिट याचिका में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख किया जाए।

2.1. प्रतिवादी एक श्रेणी-I का ठेकेदार है, जो सिविल अनुबंध कार्यों के क्षेत्र में विशेष रूप से टनलिंग (सुरंग निर्माण) तथा जलविद्युत परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखता है।

2.2. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र स्थित कोयना जलविद्युत परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा वित्तपोषण को स्वीकृति दी थी, जो विश्व बैंक की एक शाखा है। उक्त परियोजना में प्रतिवादी को लेक इंटेक से इमरजेंसी वाल्व टनल तक सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु एक उप-ठेका प्रदान किया गया था। प्रतिवादी ने परियोजना के मुख्य अभियंता द्वारा जारी दिनांक 08.08.1991 के एक पत्र पर भरोसा किया है। पत्र का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> 4.2. इस विश्व बैंक सहायता प्राप्त (ऋण) परियोजना के लिए "आभासी निर्यात" की अवधारणा के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के संबंध में जानकारी ठेकेदारों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए और प्राप्त जानकारी का उपयोग दरों का उद्धरण करते समय किया जाना चाहिए।

2.3. “आभासी निर्यात” योजना की घोषणा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्यात-आयात नीति, 1992-1997 में की गई थी। उक्त नीति में “आभासी निर्यात” के अंतर्गत कुछ लाभ भी शामिल किए गए थे।

2.4. प्रतिवादी ने उसे सौंपे गए निर्माण कार्य को मार्च, 1996 में पूरा कर लिया और इसके बाद उसने दिनांक 25.03.1996, 13.09.1996 तथा 20.12.1996 को क्रमशः ₹35,75,679.00, ₹88,98,206.00 तथा ₹85,05,853.00 की ड्यूटी ड्रॉबैक (शुल्क वापसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत किए।

2.5. दिनांक 10.11.1996, 06.12.1996 तथा 31.12.1996 के अनुमोदनों के माध्यम से विदेश व्यापार महानिदेशक (संक्षेप में ‘डीजीएफटी’) ने प्रतिवादी के ड्यूटी ड्रॉबैक के आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि सिविल निर्माण कार्यों में आपूर्ति “आभासी निर्यात” लाभ के लिए पात्र नहीं थी।

2.6. उपर्युक्त अस्वीकृति के बावजूद, प्रतिवादी ने उक्त निर्णय के पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और निर्यात-आयात नीति, 1992-1997 के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक की मांग की। ऐसा ही एक अभ्यावेदन दिनांक 05.02.1997 का है। तथापि, इसे विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा दिनांक 10.08.1997 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि सिविल निर्माण कार्य ड्रॉबैक के लिए पात्र नहीं है।

2.7. दिनांक 20.08.1998 को विदेश व्यापार महानिदेशक ने उत्तरवर्ती निर्यात-आयात नीति, 1997-2002 के अंतर्गत एक परिपत्र जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उक्त नीति के पैरा 10(2)(डी) के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति “आभासी निर्यात” लाभ के लिए पात्र होगी। यह उल्लेखनीय है कि 1992-1997 की निर्यात-आयात नीति 31.03.1997 से समाप्त हो चुकी थी।

2.8. दिनांक 05.12.2000 को विदेश व्यापार महानिदेशक ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क के संबंध में ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा।

2.9. उपर्युक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी ने एक बार फिर दिनांक 28.08.2001 को विदेश व्यापार महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशक ने दिनांक 21.06.2002 के संप्रेषण द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया।

2.10. इसके बावजूद, एक नीति व्याख्या समिति (Policy Interpretation Committee) का गठन किया गया, जिसने 07.10.2002 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवादी के मामले की समीक्षा की। यह निर्णय लिया गया कि "आभासी निर्यात" योजना के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ प्रतिवादी को प्रदान किया जाएगा। परिणामस्वरूप, दिनांक 21.06.2002 के पूर्व अस्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए तथा 07.10.2002 को नीति व्याख्या समिति के निर्णय के आलोक में, विदेश व्यापार महानिदेशक ने दिनांक 01.11.2002 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को ₹2,05,79,740.00 की ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति प्रदान की। इसके पश्चात् दिनांक 31.03.2003 एवं 20.05.2003 के अनुमोदनों के माध्यम से ₹25,00,000.00, ₹63,23,575.00, ₹81,05,583.00 तथा ₹56,50,312.00 के चेक, कुल ₹2,25,79,470.00 जारी किए गए। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी को प्रदान किया गया ड्यूटी ड्रॉबैक भविष्य के लिए नजीर नहीं माना जाएगा।

2.11. इसके पश्चात् प्रतिवादी ने दिनांक 06.06.2003, 14.06.2003, 17.07.2003, 29.10.2003 तथा 10.08.2004 को अपीलकर्ताओं को संबोधित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिनमें विलंबित भुगतान के आधार पर ड्यूटी ड्रॉबैक राशि पर ब्याज की मांग की गई। तथापि, प्रतिवादी द्वारा की गई ब्याज की मांग को विदेश व्यापार महानिदेशक ने अस्वीकार कर दिया।

3. ड्यूटी ड्रॉबैक की भुगतान की गई राशि पर ब्याज के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे रिट याचिका संख्या 45525/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया। पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात, उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.09.2005 के निर्णय एवं आदेश द्वारा 05.12.2000 की अधिसूचना का संदर्भ लेते हुए यह माना कि प्रतिवादी ड्यूटी ड्रॉबैक का पात्र है।

यह अवलोकन करते हुए कि ड्यूटी ड्रॉबैक के भुगतान में विलंब हुआ था, माननीय एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी विलंबित भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार

होगा। चूंकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में पाँच प्रतिशत से तीस प्रतिशत के बीच ब्याज दिया जाना चाहिए, अतः माननीय एकल न्यायाधीश ने पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान किया। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे दिनांक 05.12.2000 की अधिसूचना की तिथि से लेकर प्रतिवादी को भुगतान किए जाने की तिथि तक विलंबित वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु प्रतिवादी के दावे पर तीन माह की अवधि के भीतर विचार करें।

4. माननीय एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय एवं आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे रिट अपील संख्या 356/2006 के रूप में पंजीकृत किया गया। प्रतिवादी ने भी रिट अपील संख्या 3699/2005 दायर की, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा केवल 05.12.2000 से ब्याज देने के निर्देश को चुनौती दी गई। खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि चूँकि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक की राशि वापस कर दी गई थी, इसलिए विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह था कि विलंबित वापसी पर प्रतिवादी को ब्याज पाने का अधिकार है या नहीं। इस संदर्भ में, खंडपीठ ने दिनांक 20.08.1998 की अधिसूचना का परीक्षण किया और यह अवलोकन किया कि इस अधिसूचना ने यह स्पष्ट किया था कि "आभासी निर्यात" (Deemed Export) में सिविल निर्माण परियोजनाओं से संबंधित वस्तुएँ और सेवाएँ भी शामिल होंगी। इस प्रकार, प्रचलित निर्यात-आयात नीति (Exim Policy) के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ सिविल निर्माण कार्यों तक भी विस्तारित किया गया। इस स्थिति को आगे दिनांक 05.12.2000 की अधिसूचना द्वारा और स्पष्ट किया गया। खंडपीठ ने इस अधिसूचना को स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का माना, अतः इसे प्रत्यावर्ती प्रभाव वाला माना गया। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27A तथा 75A का उल्लेख करते हुए, खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि ड्यूटी ड्रॉबैक की वापसी हेतु आवेदन करने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिवादी ब्याज पाने का हकदार होगा। दिनांक 22.08.2008 के निर्णय एवं आदेश द्वारा, खंडपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि प्रतिवादी वर्ष 1996 में ड्यूटी ड्रॉबैक की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के तीन माह बाद से, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी की रिट अपील स्वीकार कर ली गई, जबकि अपीलकर्ताओं की रिट अपील खारिज कर दी गई।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी. सी. भारती ने तिथियों एवं घटनाओं की एक संक्षिप्त सूची प्रस्तुत की। उन्होंने उसमें से यह इंगित किया कि प्रतिवादी द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक हेतु दायर किए गए आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा बार-बार

अस्वीकार किए गए थे। उक्त अस्वीकृतियों के बावजूद, प्रतिवादी लगातार एक के बाद एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करता रहा और ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा करता रहा। इन्हीं परिस्थितियों में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा एक नीति व्याख्या समिति का गठन किया गया, जिसने प्रतिवादी के मामले की समीक्षा की और दिनांक 07.10.2002 के अपने निर्णय द्वारा विशेष मामले के रूप में प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया। इसी पृष्ठभूमि में विदेश व्यापार महानिदेशक ने दिनांक 01.11.2002 को आदेश पारित करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी को दिया गया ड्यूटी ड्रॉबैक भविष्य के लिए नजीर नहीं माना जाएगा। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि ड्यूटी ड्रॉबैक प्रतिवादी को एक विशेष मामले के रूप में प्रदान किया गया था, जो कि निर्यात-आयात नीति 1992-1997 के अंतर्गत प्रतिवादी को उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में, ड्यूटी ड्रॉबैक के भुगतान में कथित विलंब के आधार पर प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का ब्याज प्रदान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। निर्यात-आयात नीति 1992-1997 के अंतर्गत ऐसे किसी ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। अतः माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी को ब्याज प्रदान करना, वह भी पंद्रह प्रतिशत की उच्च दर से, त्रुटिपूर्ण था।

5.1. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि खंडपीठ ने यह मानकर त्रुटि की है कि दिनांक 20.08.1998 और 05.12.2000 के परिपत्र स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के थे और इसलिए उनका प्रत्यावर्ती प्रभाव होगा, जिससे प्रतिवादी का मामला भी आच्छादित हो जाएगा। उनके अनुसार, ये परिपत्र उत्तरवर्ती निर्यात-आयात नीति 1997-2002 के अंतर्गत जारी किए गए थे और इसलिए इन्हें निर्यात-आयात नीति 1992-1997 के अंतर्गत आने वाले प्रतिवादी जैसे मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय, जिसकी पुष्टि खंडपीठ द्वारा की गई है, में हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसुवा प्रभु पाटिल ने माननीय एकल न्यायाधीश तथा खंडपीठ के आदेशों का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ, यद्यपि विलंब से, प्रदान कर दिया गया है, अतः अब उनके लिए यह कहना उचित नहीं है कि प्रतिवादी इस लाभ का पात्र नहीं था और यह केवल एक रियायत के रूप में दिया गया था। यह निर्विवाद है कि ड्यूटी ड्रॉबैक की वापसी में विलंब हुआ। इसलिए प्रतिवादी ऐसे विलंबित

भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जिसे उच्च न्यायालय ने सही रूप से प्रदान किया।

6.1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27ए के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विधायी योजना को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करते समय अपेक्षाकृत संयमित दृष्टिकोण अपनाया है। अतः उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर यह दीवानी अपील खारिज की जानी चाहिए।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर न्यायालय द्वारा समुचित विचार किया गया है।

8. उच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करने से पूर्व, यह उपयुक्त होगा कि हम संक्षेप में वैधानिक ढांचे तथा संबंधित निर्यात-आयात नीति का उल्लेख करें।

9. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए (संक्षेप में 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम') उन शुल्कों की वसूली से संबंधित है जो न तो लगाए गए हों, न चुकाए गए हों, या कम लगाए गए हों, या कम चुकाए गए हों, अथवा जो त्रुटिपूर्ण रूप से वापस कर दिए गए हों। हमारे उद्देश्य के लिए उपधारा (1) प्रासंगिक है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी उत्पाद शुल्क को किसी भी कारण से—जो कि धोखाधड़ी, मिलीभगत आदि (शुल्क के भुगतान से बचने के उद्देश्य सहित) के अतिरिक्त हो—न लगाया गया हो, न चुकाया गया हो, या कम लगाया गया हो, या कम चुकाया गया हो, अथवा गलत रूप से वापस कर दिया गया हो, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी संबंधित तिथि से दो वर्ष के भीतर उस व्यक्ति को, जो इसके लिए उत्तरदायी है, एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे यह कारण बताने को कहा जाएगा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों न करे। शुल्क के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, नोटिस की सेवा से पूर्व, अपने स्वयं के आकलन के आधार पर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर, धारा 11एए के अंतर्गत देय ब्याज सहित शुल्क की राशि का भुगतान कर सकता है। यदि मामला धोखाधड़ी, मिलीभगत आदि से संबंधित हो, तो नोटिस जारी करने की अवधि बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी जाती है।

9.1. ड्यूटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर धारा 11ए के अधीन निर्धारण के बाद स्वेच्छा से या उसके बाद धारा 11एए की उपधारा (1) के अधीन ड्यूटी के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का कर्तव्य भारित किया गया है। उपधारा (2) के अनुसार, ऐसा ब्याज दस प्रतिशत से कम नहीं और केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तीस छह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। ऐसा ब्याज उस तिथि से जिस पर ड्यूटी देय हो जाती है, लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक गणना किया जाएगा।

9.2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बी किसी व्यक्ति को उत्पाद शुल्क की किसी ड्यूटी और ब्याज की राशि का दावा करने के लिए प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसी ड्यूटी और ब्याज की राशि की वापसी के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करती है (12.05.2000 से पूर्व, यह एक वर्ष के स्थान पर छह मास था)।

9.3. धारा 11बीबी में विलंबित वापसी पर ब्याज का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि धारा 11बी की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदक को वापस करने का आदेश दी गई किसी ड्यूटी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो ऐसे आवेदक को केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से, जो पांच प्रतिशत से कम न हो और तीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो, ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 11.05.2001 से पूर्व, ब्याज की दर दस प्रतिशत से कम नहीं थी। ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन मास की समाप्ति के बाद आवेदक को ऐसी ड्यूटी की वापसी की तिथि तक ब्याज का हकदार होगा।

10. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 ड्यूटी की वापसी के दावे से संबंधित है। उपधारा (1) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई या वहन की गई किसी ड्यूटी या ब्याज की वापसी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी ड्यूटी या ब्याज के भुगतान की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र और प्रक्रिया में नामित प्राधिकारी को संबोधित ऐसी वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, आयातक के अलावा

किसी व्यक्ति के संबंध में ड्यूटी या ब्याज के भुगतान की तिथि को ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की खरीद की तिथि के रूप में समझा जाएगा।

10.1. उपधारा (2) कहती है कि यदि ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर नामित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक द्वारा भुगतान की गई ऐसी ड्यूटी का पूर्ण या कोई भाग और यदि कोई हो तो ऐसी ड्यूटी पर भुगतान किया गया ब्याज वापसी योग्य है, तो वह उसी के अनुसार आदेश पारित कर सकता है और ऐसा निर्धारित राशि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 12सी के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी। हालांकि, प्रावधान के अनुसार, यदि ऐसी निर्धारित ड्यूटी और ब्याज की राशि, अन्यों के अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74 और 75 के अधीन देय ड्यूटी के ड्रॉबैक से संबंधित हो, तो ऐसी राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने के स्थान पर आवेदक को भुगतान की जाएगी।

11. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27ए में विलंबित वापसी पर ब्याज का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदक को वापस करने का आदेश दी गई किसी ड्यूटी को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो ऐसे आवेदक को केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से, जो पांच प्रतिशत से कम न हो और तीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो, ब्याज का भुगतान किया जाएगा, ऐसी ड्यूटी पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन मास की समाप्ति के तुरंत बाद की तिथि से लेकर ऐसी ड्यूटी की वापसी की तिथि तक।

12. सीमा शुल्क अधिनियम का अध्याय एक्स, जिसमें धारा 74 से 76 सम्मिलित हैं, ड्रॉबैक से संबंधित है। जबकि धारा 74 में ड्यूटी भुगतान की गई वस्तुओं के पुनः निर्यात पर ड्रॉबैक की अनुमति है, धारा 75 निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री पर ड्रॉबैक का प्रावधान करती है। दूसरी ओर, धारा 75ए ड्रॉबैक पर ब्याज से संबंधित है। धारा 75ए की उपधारा (1) कहती है कि जहां धारा 74 या धारा 75 के अधीन किसी दावेदार को देय किसी ड्रॉबैक का भुगतान ऐसे ड्रॉबैक के भुगतान के दावे के दाखिल करने की तिथि से एक मास की अवधि (पूर्व में यह दो मास था और उससे पूर्व यह तीन मास था) के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे दावेदार को ड्रॉबैक की राशि के अतिरिक्त

धारा 27 ए के अधीन निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा, उक्त एक मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तिथि से लेकर ऐसे ड्रॉबैक के भुगतान की तिथि तक।

13. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने 1992-1997 की अवधि के लिए निर्यात और आयात (एक्जिम) नीति की अधिसूचना जारी की। यह 01.04.1992 से प्रभावी हुई और 31.03.1997 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रही।

14. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के बाद, एक्जिम नीति, 1992-1997 को उक्त अधिनियम के अधीन बनी हुई मानी गई। ऐसी स्थिति होने पर, हम उक्त अधिनियम का संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

15. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (इसके बाद संक्षेप में '1992 अधिनियम') भारत में आयात को सुगम बनाने और निर्यात को बढ़ाने के द्वारा विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए तथा उसके साथ संबद्ध या उसके आकस्मिक मामलों के लिए एक अधिनियम है।

15.1. धारा 4 घोषित करती है कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन बनाए गए तथा 1992 अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रवृत्त सभी आदेश, यथासंभव कि वे 1992 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हों, प्रवृत्त रहेंगे तथा यह समझे जाएंगे कि वे 1992 अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं।

15.2. इस प्रकार, 1992 अधिनियम की धारा 4 के अधीन, 1992-1997 की एक्जिम नीति लागू बनी रही और इसे 1992 अधिनियम के अधीन बनी हुई माना गया।

16. 1992 अधिनियम की धारा 5, जो प्रासंगिक समय पर लागू थी, निर्यात और आयात नीति से संबंधित थी। धारा 5 के अनुसार, केंद्रीय सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्यात और आयात नीति तैयार और घोषित कर सकती है तथा उसी प्रकार उस नीति में संशोधन भी कर सकती है।

17. 1992 अधिनियम के अधीन बनाए गए विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 2(ई) में 'नीति' शब्द की परिभाषा केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन तैयार और घोषित निर्यात और आयात नीति के रूप में दी गई है।

18. अब हम 1992-1997 की एक्जिम नीति पर वापस लौटें। उक्त नीति की धारा 7 नीति के प्रयोजन के लिए शब्दों और अभिव्यक्तियों को अर्थ प्रदान करती है। धारा 7(13) के अनुसार, भारत में निर्मित और निर्यात की गई किसी वस्तु के संबंध में 'ड्रॉबैक' का अर्थ भारत में ऐसी वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्कीय सामग्री पर देय ड्यूटी की छूट है।

19. नीति का अध्याय VII 'ड्यूटी छूट योजना' का प्रावधान करता है। अध्याय VII की पहली धारा 47 में उल्लेख है कि ड्यूटी छूट योजना के अधीन, निर्यात उत्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक ड्यूटी मुक्त कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती पदार्थों, उपभोग्य सामग्रियों, भागों, स्पेयर्स सहित अनिवार्य स्पेयर्स तथा पैकिंग सामग्रियों के आयात को उक्त अध्याय में उल्लिखित पांच श्रेणियों के लाइसेंसों के अधीन, जिसमें विशेष इम्प्रेस्ट लाइसेंस सम्मिलित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत किया जा सकता है। धारा 56 (ii)(3) के अनुसार, बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को किए गए आपूर्ति को ऐसी परियोजनाओं को उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति के लिए मुख्य/उप-ठेकेदारों को कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती पदार्थों, उपभोग्य सामग्रियों, भागों, स्पेयर्स सहित अनिवार्य स्पेयर्स तथा पैकिंग सामग्रियों के ड्यूटी मुक्त आयात का हकदार बनाया जाएगा।

20. अध्याय X ने 'मान्य निर्यात' की अवधारणा का परिचय दिया। धारा 120 'मान्य निर्यात' को उन लेन-देन के रूप में परिभाषित करती है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं गईं और वस्तुओं का भुगतान आपूर्तिकर्ता को भारतीय रुपये में प्राप्त हुआ लेकिन ऐसी आपूर्तियों से देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित हुई या बचाई गई।

21. धारा 121 (एफ) के अधीन, बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली या सीमित निविदा प्रणाली के अधीन किए गए वस्तुओं की आपूर्ति को 1992-1997 की एक्जिम नीति के अधीन 'मान्य निर्यात' माना जाएगा।

22. धारा 122 प्रावधान करती है कि 'मान्य निर्यात' उन वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध लाभों के लिए पात्र होंगे जो 'मान्य निर्यात' के रूप में योग्य हैं, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के अधीन प्रावधान भी सम्मिलित हैं।

23. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93ए को धारा 94 के साथ पढ़ते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने "कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स ड्रॉबैक नियम, 1995" नामक नियमों का एक सेट बनाया है। नियम 2(क) में, भारत में निर्मित और निर्यात की गई किसी वस्तु से संबंधित 'ड्रॉबैक' की परिभाषा उस ड्यूटी या कर की छूट के रूप में दी गई है, जिसे ऐसी वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्कीय सामग्री या इनपुट सेवाओं के रूप में प्रयुक्त कर योग्य सेवाओं पर उपयुक्त रूप से लगाया गया हो। नियम 2(ख) के अधीन 'उत्पाद शुल्कीय सामग्री' का अर्थ उस सामग्री से है जो भारत में उत्पादित या निर्मित की गई हो और जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार उत्पाद शुल्क देय हो। इसी प्रकार, नियम 2(घ) में 'आयातित सामग्री' शब्द की परिभाषा उस सामग्री से की गई है जो भारत में आयातित की गई हो और जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार ड्यूटी देय हो।

23.1. नियम 3 ड्रॉबैक की अनुमति का प्रावधान करता है। उप-नियम (1) कहता है कि सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, वित्त अधिनियम, 1994 तथा उक्त तीन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उस राशि या उस दर पर वस्तुओं के निर्यात पर ड्रॉबैक अनुमत किया जा सकेगा।

23.2. नियम 14 ड्रॉबैक एवं ब्याज के भुगतान से संबंधित है। उप-नियम (1) कहता है कि कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स ड्रॉबैक नियम, 1995 (आगे "1995 के नियम" के रूप में संक्षेप में उल्लिखित) के अधीन ड्रॉबैक तथा जहां कहीं लागू हो, ब्याज का भुगतान सीमा शुल्क के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्यातक या निर्यातक द्वारा ड्रॉबैक एवं ब्याज की उक्त राशि प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत एजेंट को किया जाएगा। उप-नियम (2) स्पष्ट करता है कि सीमा शुल्क का अधिकारी ड्रॉबैक तथा, जहां कहीं लागू हो, ब्याज के भुगतान के उद्देश्य के लिए एक या एक से अधिक दावों को संयुक्त कर सकता है, साथ ही पहले से भुगतान किए गए ड्रॉबैक एवं ब्याज की राशि के समायोजन के लिए भी ऐसा कर सकता है तथा भुगतान के लिए संक्षिप्त आदेश जारी कर सकता है। उप-नियम (3) के अनुसार, ड्रॉबैक तथा, जहां कहीं लागू हो, ब्याज का भुगतान किया जाने की तिथि, चेक द्वारा भुगतान के मामले में, उस चेक के जारी किए जाने की तिथि मानी जाएगी; अथवा निर्यातक द्वारा सीमा शुल्क अधिकरण में रखे गए खाते में

उस राशि की जमा होने की तिथि के अनुसार उस जमा राशि की तिथि मानी जाएगी।

24. इस स्तर पर हम यह उल्लेख करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 26.05.1995 को "संख्या 32/1995 (एन.टी.)–कस्टम्स" शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27ए के प्रयोजन हेतु ब्याज की दर 15 प्रतिशत निर्धारित की गई। इस अधिसूचना को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा भारत के आधिकारिक राजपत्र, दिनांक 26.05.1995 में प्रकाशित किया गया।

25. इसी प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बीबी के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 29.05.1995 को "संख्या 22/95–सेंट्रल एक्साइजेज (एन.टी.)" शीर्षक से अधिसूचना जारी की, जिसमें उक्त धारा के प्रयोजन हेतु ब्याज की दर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिसूचना भी केंद्रीय सरकार द्वारा 29.05.1995 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई।

26. यद्यपि यह आवश्यक नहीं हो सकता, तथापि हम दिनांक 20.08.1998 तथा 05.12.2000 को डी.जी.एफ.टी. द्वारा जारी परिपत्रों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। दिनांक 20.08.1998 का परिपत्र बताता है कि व्यक्तिगत निर्यातकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे तथा विभिन्न क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा सिविल निर्माण परियोजनाओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 'मान्य निर्यात' लाभ की उपलब्धता से संबंधित स्पष्टीकरण मांगे गए थे। उसी परिपत्र, दिनांक 20.08.1998, में कहा गया है कि सिविल निर्माण परियोजनाओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' लाभ का अधिकारी माना जाएगा या नहीं, इस प्रश्न का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया और इसके पश्चात यह स्पष्ट किया गया कि एक्जिम नीति के अनुच्छेद 10(2)(डी) के अधीन वस्तुओं की आपूर्ति 'मान्य निर्यात' लाभ के लिए योग्य होगी। अतः, यदि किसी टर्न-की सिविल निर्माण परियोजना के कार्य-क्षेत्र के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति सम्मिलित है, तो ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' लाभ का हकदार माना जाएगा।

26.1. ऐसा प्रतीत होता है कि डी.जी.एफ.टी. को टर्न-की परियोजनाओं को की गई आपूर्ति पर ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमतियता के संबंध में, जिन्हें एक्जिम नीति के अनुसार 'मान्य निर्यात' माना जाता है, निरंतर प्रतिनिधित्व प्राप्त होते रहे। दिनांक

05.12.2000 का परिपत्र उल्लेख करता है कि इस विषय पर नीति समीक्षा समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह टिप्पणी की गई कि एक ही ठेकेदार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सभी आइटमों का स्वयं निर्माण करना संभव नहीं है। अतः कुछ आइटमों को अनिवार्य रूप से अन्य स्रोतों से, चाहे आयातित हों या स्वदेशी, खरीदना पड़ता है। इस कारण यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी परियोजनाओं में सीधे आपूर्ति किए गए सभी आइटम, चाहे आयातित हों या स्वदेशी, जो परियोजना में प्रयुक्त होते हैं, उनके लिए 'भारत में निर्मित' की शर्त, जो 'मान्य निर्यात' लाभ के प्रदान करने हेतु पूर्वावश्यकता है, तब संतुष्ट मानी जाएगी, जब तक कि ऐसी गतिविधियाँ जो परियोजना स्थल पर की जाती हैं, एक्जिम नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार 'निर्माण' (मैन्युफैक्चर) की श्रेणी में आती हों। अतः यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी वस्तुओं पर झेली गई सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ड्रॉबैक-मार्ग के माध्यम से वापस किए जाने हैं। पूर्व दिनांकित 20.08.1998 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, यह और भी स्पष्ट किया गया कि इनपुट जैसे सीमेंट, स्टील आदि की आपूर्ति पर चुकाए गए उत्पाद शुल्क को भी उसी प्रकार ड्रॉबैक-मार्ग के द्वारा वापस किया जाएगा जिस प्रकार किसी अन्य 'मान्य निर्यात' लाभ के लिए योग्य अन्य परियोजना को आपूर्ति की गई कर-योग्य वस्तुओं के किसी अन्य मामले में। इसके केवल एक ही शर्त के अधीन होगा कि परियोजना प्राधिकारी द्वारा ऐसे इनपुट्स के परियोजना में प्राप्ति एवं उपयोग का प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

27. जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लिखित किया जा चुका है, एक नीति व्याख्या समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने 07.10.2002 को, जी.डी.एफ.टी. की अध्यक्षता में, एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में विचार-विमर्श किए गए कार्यालय के एजेंडा के आइटमों में एक आइटम यह था कि आवेदक (प्रतिवादी) के द्वारा उठाया गया दावा, अर्थात् परियोजना प्राधिकारी के समक्ष उद्धृत मूल्य में उत्पाद शुल्क घटक को शामिल करना 'मान्य निर्यात' के लिए एक मामला है तथा उसकी वापसी ड्रॉबैक-मार्ग से की जानी चाहिए। नीति व्याख्या समिति ने प्रतिवादी के मामले पर विचार-विमर्श किया और यह राय व्यक्त की कि यदि कोई ऐसी फर्में अभी भी प्रतिस्पर्धी हैं और उत्पाद शुल्क घटक को परियोजना प्राधिकारी के समक्ष उद्धृत मूल्य में शामिल करने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर वस्तुएं आपूर्ति करने में सक्षम हैं, तो ऐसी फर्मों को 'मान्य निर्यात' लाभ की अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः समिति ने यह निश्चय किया कि ऐसे मामलों में भी 'मान्य निर्यात' लाभ अनुमत किया जाएगा जहां उत्पाद शुल्क घटक

को उद्धृत मूल्य-निर्धारण में शामिल किया गया हो, बशर्ते कि 'मान्य निर्यात' लाभ की अन्य शर्तों का पालन किया गया हो।

27.1. नीति व्याख्या समिति की दिनांक 07.10.2002 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के कार्य-विवरण की पुस्तकालय-परीक्षा से स्पष्ट है कि समिति ने उन फर्मों को 'मान्य निर्यात' लाभ विस्तारित करने की राय व्यक्त की जिन्होंने परियोजना प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत निविदा-मूल्य में उत्पाद शुल्क घटक को शामिल किया था, जैसे-कि प्रतिवादी। कार्य-विवरण में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि ऐसा लाभ प्रतिवादी को केवल एक बार के मामले में या किसी रियायत के रूप में विस्तारित किया जा रहा है।

28. नीति व्याख्या समिति की दिनांक 07.10.2002 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के आधार पर, डी.जी.एफ.टी. ने दिनांक 01.11.2002 को एक पत्र जारी किया, जिसकी एक प्रति प्रतिवादी को भेजी गई थी, जो पूर्व के अस्वीकृति आदेश दिनांक 21.06.2002 को निरस्त करते हुए कोयना जल-विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों में प्रयुक्त स्टील, सीमेंट आदि जैसी सामग्रियों/वस्तुओं पर ड्रॉबैक की राशि प्रतिवादी को भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता था। प्रतिवादी को वापस की जाने वाली ड्रॉबैक की राशि को 2,05,79,740.00 रुपये के रूप में निर्धारित किया गया था। उक्त पत्र में यह, हालांकि, उल्लेख किया गया था कि ड्रॉबैक की प्रदान की गई अनुमति को किसी नियम-स्थापक मानदंड के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात चेक जारी किए गए, जिनके माध्यम से उक्त ड्रॉबैक राशि प्रतिवादी को दी गई। उस स्तर पर प्रतिवादी ने प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किए, जिनमें यह तर्क दिया गया कि ड्रॉबैक की वापसी में विलंब हुआ था और अतः वह दिनांकित 29.05.1995 की अधिसूचना संख्या 22/95 के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से प्रासंगिक तिथि से ब्याज का हकदार था (हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्रतिवादी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बीबी के अधीन विलंबित ड्यूटी वापसी पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज निर्धारित करने वाली उक्त अधिसूचना पर भरोसा किया था)। तथापि, ऐसे प्रतिनिधित्वों को डी.जी.एफ.टी. द्वारा 10.07.2003 तथा 06.08.2003 को क्रमशः अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांकित 10.07.2003 के अस्वीकृति पत्र में प्रतिवादी को डी.जी.एफ.टी. के कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया कि 'मान्य निर्यात' ड्यूटी ड्रॉबैक पर ब्याज भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतः ब्याज भुगतान के अनुरोध पर सहमति व्यक्त नहीं की जा सकी।

29. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 05.12.2000 के परिपत्र का उल्लेख किया तथा अवलोकन किया कि उसके अनुपालन में याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को ड्यूटी ड्राबैक का भुगतान किया था। तथापि, ड्यूटी ड्राबैक के भुगतान में कम से कम दिनांक 05.12.2000 के स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र की तारीख से विलंब हुआ था। अतः, प्रतिवादी को स्पष्टीकरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज का हकदार होगा। यह अवलोकन करने के बाद कि सीमा शुल्क अधिनियम में विलंबित रिफंड पर पांच प्रतिशत से तीस प्रतिशत तक के दायरे में ब्याज का प्रावधान है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 05.12.2000 के स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र की तारीख से भुगतान की तारीख तक विलंबित रिफंड पर ब्याज का भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया।

30. याचिकाकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश के उपर्युक्त निर्णय को चुनौती देते हुए रिट अपील संख्या 356 वर्ष 2006 दायर की। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने भी विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 05.12.2000 के परिपत्र की तारीख से ही ब्याज भुगतान के निर्देशों को चुनौती देते हुए रिट अपील संख्या 3699 वर्ष 2005 दायर की।

30.1. खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के अंतर्गत ही प्रथम बार ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन में विलंब होने की स्थिति में प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान प्रदान किया गया था। उससे पूर्व डीम्ड एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ड्रॉबैक के विलंबित प्रतिफलन पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। अतः प्रतिवादी को विद्वान सिंगल जज द्वारा निर्देशित 05.12.2000 से भी ब्याज का हकदार नहीं ठहराया जा सकता। डिवीजन बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि केंद्रीय सरकार की उदारता के कारण ही डीम्ड एक्सपोर्ट के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रतिफलन प्रतिवादी को किया गया। अतः प्रतिफलन पर कोई ब्याज नहीं चलेगा।

30.2. खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों को खारिज कर दिया तथा यह निर्णय दिया कि 05.12.2000 की सर्कुलर के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि सिविल निर्माण कार्य भी एक्सिम नीति के अंतर्गत डीम्ड एक्सपोर्ट के लाभ के हकदार हैं। ऐसा कहने के बाद डिवीजन बेंच ने उल्लेख किया कि वास्तव में प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में 2,05,79,740.00 रुपये का भुगतान किया गया था। उसके बाद डिवीजन बेंच ने 05.12.2000 की सर्कुलर का विश्लेषण किया

तथा ऐसे विश्लेषण के आधार पर यह अवलोकन किया कि सिविल निर्माण कार्य को डीम्ड एक्सपोर्ट मानकर ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन की स्थिति को पूर्ववर्ती 20.08.1998 की सर्कुलर में स्पष्ट किया गया था। अतः खंडपीठ के अनुसार, वर्ष 1998 तक डीजीएफटी ने स्पष्ट कर दिया था कि सिविल निर्माण कार्य डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में ड्यूटी ड्रॉबैक के लाभ का हकदार है।ऐसा निर्णय देने के बाद, डिवीजन बेंच ने प्रश्न उठाया कि क्या प्रतिवादी ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन हेतु आवेदनों की तारीख से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् ब्याज का हकदार होगा? उपरोक्त प्रश्न का सहगामी प्रश्न यह था कि क्या कोई स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक अधिसूचना या सर्कुलर का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा? इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए जो 1993 सप्लीमेंटरी (3) एससीसी 234 *एस. एस. ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य*, (1995) 2 एससीसी 630 राजगोपाल रेड्डी (मृत्यु) द्वारा *एलआरएस बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरन* (मृत्यु) द्वारा एलआरएस, तथा (2004) 8 एससीसी 1 *जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य* में प्रतिपादित हैं, डिवीजन बेंच ने मत व्यक्त किया कि एक्सिम नीति लागू होते ही ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ प्रतिवादी को स्वतः उपलब्ध हो गया था तथा वह स्पष्टीकरण केवल कुछ वर्गों द्वारा व्यक्त संदेह के संबंध में था कि क्या सिविल निर्माण कार्य भी ऐसे लाभ के हकदार हैं। 20.08.1998 एवं 05.12.2000 की दो सर्कुलरों के अधीन कोई नया अधिकार या लाभ सृजित नहीं हुआ; वे दो सर्कुलर केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के थे जो यह स्पष्ट करते थे कि एक्सिम नीति 1992-1997 के अंतर्गत सिविल निर्माण को भी लाभ उपलब्ध था। अतः ऐसा लाभ एक्सिम नीति की तारीख से प्रभावी होगा। उसके बाद डिवीजन बेंच ने आगे प्रश्न उठाया कि विलंबित प्रतिफलन पर ब्याज की दर क्या होगी। इस संबंध में डिवीजन बेंच ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27ए एवं 75ए का उल्लेख किया तथा निष्कर्ष निकाला कि ब्याज का भुगतान ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन हेतु आवेदन करने की तारीख से तीन माह की समाप्ति पर किया जाएगा। डिवीजन बेंच ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी को वर्ष 1996 में प्रतिफलन हेतु आवेदनों प्रस्तुत करने के तीन माह बाद की तारीख से भुगतान होने तक विद्वान सिंगल जज द्वारा प्रदत्त दर से पंद्रह प्रतिशत ब्याज का हक होगा। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं की अपील खारिज कर दी गई जबकि प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर ली गई।

31. एक्सिम नीति 1992-1997 पर पुनः लौटते हुए, हमने पहले ही ड्यूटी छूट योजना के बारे में उल्लेख किया है। हमने उल्लेख किया है कि ड्यूटी छूट योजना के अंतर्गत निर्यात

उत्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती पदार्थों, उपभोग्य सामग्रियों, भागों, स्पेयर्स सहित अनिवार्य स्पेयर्स तथा पैकिंग सामग्रियों का ड्यूटी मुक्त आयात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय VII में उल्लिखित पांच श्रेणियों के लाइसेंसों के अंतर्गत, जिसमें विशेष इम्प्रेस्ट लाइसेंस भी सम्मिलित है, अनुमत किया जा सकता है। धारा 56 में प्रावधान किया गया था कि विशेष इम्प्रेस्ट लाइसेंस मुख्य/उप-ठेकेदारों को उत्पादों के निर्माण या आपूर्ति के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों, भागों, स्पेयर्स सहित अनिवार्य स्पेयर्स तथा पैकिंग सामग्रियों का ड्यूटी मुक्त आयात करने के लिए प्रदान किया जाएगा जब ऐसी आपूर्ति बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को की जाती हो, जैसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली या सीमित निविदा प्रणाली के अंतर्गत।

31.1. अध्याय X में 'डीम्ड एक्सपोर्ट' की परिभाषा दी गई है। यह एक ऐसा लेन-देन है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएँ देश से बाहर नहीं जातीं तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं के लिए भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त किया जाता है, किंतु ऐसी आपूर्तियाँ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं या बचाती हैं। धारा 121 में घोषणा की गई है कि उक्त धारा में उल्लिखित वस्तुओं की आपूर्ति की श्रेणियाँ एक्सिम नीति के अंतर्गत 'डीम्ड एक्सपोर्ट' मानी जाएँगी बशर्ते वस्तुएँ भारत में निर्मित हों तथा भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त किया गया हो। इसमें बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति सम्मिलित है, जैसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली या सीमित निविदा प्रणाली के अंतर्गत उन एजेंसियों की प्रक्रियाओं के अनुसार।

31.2. धारा 122 स्पष्ट करती है कि डीम्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के अंतर्गत लाभ के हकदार होंगे जिसमें वस्तुओं के निर्माण एवं आपूर्ति को डीम्ड एक्सपोर्ट मानकर लाभ प्रदान किया जाएगा।

32. इसके अतिरिक्त, जैसा कि निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में पहले ही उल्लेख किया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि आयातक के अलावा अन्य व्यक्ति के संबंध में 'शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति द्वारा 'वस्तुओं की खरीद की तारीख' से होगा।

33. अतः एक्सिम नीति, 1992-1997 के प्रासंगिक प्रावधानों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं सीमा शुल्क अधिनियम के साथ संयुक्त रूप से एवं सावधानीपूर्वक पठन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित परियोजना को की गई वस्तुओं की आपूर्ति 'डीम्ड एक्सपोर्ट' का मामला थी तथा इस प्रकार ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के अंतर्गत लाभ की हकदार थी। नीति में प्रयुक्त भाषा ने इसे अत्यंत स्पष्ट कर दिया था तथा ऐसी पात्रता के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं थी।

34. भले ही कोई संदेह हो, वह 1995 के नियमों द्वारा पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था। वास्तव में, 1995 के नियमों की परिभाषा धारा के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक, भारत में निर्मित एवं निर्यातित किसी भी वस्तु के संबंध में, इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसका तात्पर्य ऐसे वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित सामग्री या उत्पाद दायित्व सामग्री या कर योग्य सेवाओं पर लगने वाले शुल्क या कर की छूट है। पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमने 'उत्पाद दायित्व सामग्री' एवं 'निर्माण' की अभिव्यक्तियों के अर्थ का उल्लेख किया है।

34.1. 1995 के नियमों का नियम 3 यह अत्यंत स्पष्ट करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि या दर पर वस्तुओं के निर्यात पर ड्रॉबैक अनुमत किया जा सकता है। आगे, नियम 14 ड्रॉबैक एवं ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है।

35. अतः याचिकाकर्ताओं का यह तर्क देना कि ड्यूटी ड्रॉबैक के विलंबित प्रतिफलन पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था, सही नहीं था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रतिफलन प्रतिवादी को एक रियायत के रूप में प्रदान किया गया था जिसे पूर्व उदाहरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, पूर्णतः अस्वीकार्य है। जैसा कि हमने देखा है, प्रतिवादी ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के अंतर्गत डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन का हकदार है। प्रतिफलन हेतु आवेदन वर्ष 1996 में किए गए थे। ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन को प्रदान करने का निर्णय 07.10.2002 को विलंबपूर्वक लिया गया जिसके पश्चात् भुगतान 31.03.2003 एवं 20.05.2003 को चेक द्वारा किया गया। स्वीकारोक्तिपूर्वक, ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन में पर्याप्त विलंब हुआ था।

36. जैसा कि हमने पहले ही परीक्षा की है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75ए की उपधारा (1) के अंतर्गत, जहाँ दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर ड्यूटी ड्रॉबैक का भुगतान नहीं किया जाता, दावेदार को ड्रॉबैक की राशि के अतिरिक्त ब्याज का हक होगा। यह धारा प्रावधान करती है कि ब्याज उक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति

के पश्चात् से ऐसे ड्रॉबैक के भुगतान तक धारा 27ए के अंतर्गत निर्धारित दर से होगा। यदि हम धारा 27ए को देखें तो उसके अंतर्गत प्रासंगिक समय पर निर्धारित ब्याज दर दस प्रतिशत से कम तथा तीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी।

37. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 32/1995 (एनटी)-सीमा शुल्क दिनांक 26.5.1995 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27ए के उद्देश्य के लिए ब्याज की दर पंद्रह प्रतिशत निर्धारित की थी। उच्च न्यायालय ने प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करते हुए तथापि ऐसी अधिसूचना का उल्लेख नहीं किया; वरन् विलंबित प्रतिफलन पर ब्याज की दर पंद्रह प्रतिशत क्यों होनी चाहिए, इस संबंध में कोई चर्चा ही नहीं की गई। अतः प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त ब्याज की दर अधिक प्रतीत होती है तथा बिना किसी कारण के।

38. हो सकता है ऐसा हो, किंतु उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमें कोई संकोच नहीं है इसमें निर्णय देने में कि प्रतिवादी ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रतिफलन का हकदार था। याचिकाकर्ताओं ने उक्त दावे को विलंबपूर्वक स्वीकार किया तथा प्रतिफलन किया। चूँकि प्रतिवादी को ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रतिफलन विलंब से किया गया था, अतः वह प्रासंगिक समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर से अर्थात् पंद्रह प्रतिशत पर ब्याज का हकदार था।

39. ऐसी स्थिति होने पर, हमें उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांक 22.8.2008 के निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता। अपील में कोई गुण नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं।

हेडनोट्स तैयार की गईं: दिव्या पांडे *मामले का परिणाम: अपील खारिज*

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|